न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा जिला बांसवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :- रजनी माधीवाल (आर.ए.एस.)

मूल वाद संख्याः-05/2025

निर्णय दिनांकः-05.05.2025

1. श्री भोपाल पिता श्री सोमा जाति भील उम्र वयस्क निवासी सेक्टर नं. 8 खान्दु कॉलोनी बांसवाड़ा जिला बांसवाड़ा।
2. श्री वरदीचन्द पिता श्री सोमा जाति भील उम्र वयस्क निवासी सेक्टर नं. 8 खान्दु कॉलोनी बांसवाड़ा जिला बांसवाड़ा।
3. श्री वरदीराम पिता श्री सोमा जाति भील उम्र वयस्क निवासी सेक्टर नं. 8 खान्दु कॉलोनी बांसवाड़ा जिला बांसवाड़ा।
4. श्रीमती कमला बेवा श्री सोमा जाति भील उम्र वयस्क निवासी सेक्टर नं. 8 खान्दु कॉलोनी बांसवाड़ा जिला बांसवाड़ा। प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री रावजी पिता हमीरा जाति भील उम्र वयस्क निवासी खारवेला ठीकरीया तहसील व जिला बांसवाड़ा।
2. श्री बहादुर पिता रावजी जाति भील उम्र वयस्क निवासी खारवेला ठीकरीया तहसील व जिला बांसवाड़ा।
3. श्री विष्णु पिता सोमा जाति भील उम्र वयस्क निवासी खारवेला ठीकरीया तहसील व जिला बांसवाड़ा। अप्रार्थीगण

-: निर्णय :-

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111 भू-राजस्व अधिनियम , 1956

प्रार्थना-पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 3 के स्वामित्व एवं आधिपत्य एवं खातेदार की कृषि भूमि खाता संख्या 593 नया, 517 पुराना का खसरा नम्बर 1227/2 रकबा 0.6068 लगान 0.79 पैसा वाके ग्राम ठीकरीया पटवार हल्का ठीकरीया तह व जिला बांसवाड़ा में स्थित हैं। जिस पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 3 काबिज होकर काश्त कर रहा हैं। उक्त खेत के चारों तरफ सिमेन्ट के पॉल की बाउण्ड्री बनी हुई हैं। उपरोक्त कृषि भूमि पर प्रार्थीगण के अलावा अन्य किसी का आधिपत्य नहीं हैं। वाद वर्णित कृषि का खसरा नम्बर 1227/2 रकबा 03 बीघा 15 बिरवा लगान 2.14 पैसा को प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 3 के पिता श्री सोमा पुत्र नाथु के द्वारा अप्रार्थीगण सख्या 1 व 2 के पिता श्री रावजी हमीरा से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 22.6.1979 के द्वारा किमतन क्रय की हैं। तब से ही सोमा उपरोक्त कृषि भूमि पर काबिज होकर काश्त करते थे । तथा उनकी मृत्यु के पश्चात् उनके पुत्र प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 3 उपरोक्त कृषि भूमि पर काबिज होकर नियमित व निर्बाध रुप से काश्त कर रहे हैं। श्री सोमा की मृत्यु के पश्चात् प्रार्थीगण का नाम वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व अभिलेख में बहैसियत खातेदारी में दर्ज हैं। मौके पर अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि में अतिक्रमण करने से रोकने के लिए प्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् स्थाई निषेधाज्ञा

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाडा (राज.)

Scanned with CamScanner

हेतु पेश किया था । जो उक्त वाद स्वीकार होकर दिनांक 28.06.2024 को अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पारित की गई हैं। जिसका प्रकरण संख्या 38/2022 है परन्तु उक्त निर्णय व डिक्री होने के पश्चात भी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 प्रार्थीगण के शान्तिपूर्ण कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा कर रहे हैं। और प्रार्थीगण के उपरोक्त कृषि भूमि के सीमा के संबंध में विवाद होने से राजस्व अभिलेख के अनुसार मौके पर नक्शे के आधार पर जांच कर सीमाज्ञान कराकर पत्थरगढ़ी किया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं। ताकि उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि को लेकर मौके पर किसी प्रकार से विवाद उत्पन्न न हो। और पक्षकारों के मध्य अन्तिम रूप से विवाद का निपटारा किया जा सके। अतः प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 3 के स्वामित्व एवं आधिपत्य एवं खातेदार की कृषि भूमि खाता संख्या 593 नया, 517 पुराना का खसरा नम्बर 1227/2 रकबा 0.6068 लगान 0.79 पैसा वाके ग्राम ठीकरीया पटवार हल्का ठीकरीया तह व जिला बांसवाड़ा के राजस्व अभिलेख के आधार पर सीमाज्ञान कराकर पत्थरगढ़ी कराने के आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थीगण द्वारा उक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी पेश की जाने पर पत्थरगढ़ी दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई । विपक्षी को नोटिस जारी किये जो बाद तामिल प्राप्त है। न्यायालय समय में अप्रार्थीगण के नाम बार बार आवाजे लगवायी गयी। जिसके उपरान्त भी अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहे। प्रार्थीगण की एक तरफा बहस सुनी गयी व प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110,111 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 को स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि :-

प्रार्थीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि खाता संख्या 593 नया, 517 पुराना का खसरा नम्बर 1227/2 रकबा 0.6068 हैक्टेयर भूमि के खातेदार काश्तकार हैं। जो प्रार्थी के खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। राजस्व रिकार्ड से पत्थरगढ़ी हेतु तहसीलदार बांसवाड़ा को राशि नियमानुसार/- फीस मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि प्रार्थीगण एवं विवादित आराजीयात के पडौसी काश्तकार को सूचित करते हुए उनकी मौजुदगी में आवश्यकता होने पर पुलिस इमदाद प्राप्त कर किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो बिना किसी के कब्जाकाश्त में परिवर्तन किये, रिकार्ड अनुसार पत्थरगढ़ी कर स्थाई सीमा चिन्ह लगाये जावे एवं पालना रिपोर्ट न्यायालय में पेश करें एवं साथ ही यदि मौके पर रिकार्डेड रास्ता हो तो रास्ता छोड़ कर पत्थरगढ़ी की जावें। कमीश्नर फीस राशि नियमानुसार/- प्रार्थीगण से वसुल करें। उक्तानुसार तहसीलदार बांसवाड़ा को तहरीर जारी हो।

उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से आज दिनांक 05.05.2025 को सरे इजलास सुनाया गया हैं।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा (राजस्थान)

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner